न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 751 सन 2022

अनवान :–

1. सुखराम पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. मानाराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. सुमीत्रा पत्नी हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. सन्तलाल पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. प्रताप पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. कालुराम पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. भालाराम पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. प्रहलाद पुत्र हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. जितराम पुत्र हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. गोमती पुत्री हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. मंजु पुत्री हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. प्रमेश्वरी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. सुरजा पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
16. गुडडी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
17. भंवरी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
18. नार्थी पत्नी डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. सीता पुत्री डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/04/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा गोरखाना के खाता संख्या 337/345 के खसरा न0 130की 10.13 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा जाति नायक निवासी गोरखाना को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेशानुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 150 भूमि राजस्व रिकार्ड में आवंटी पिथा पुत्र चौथा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई तथा आवंटन के समय से उक्त भूमि आवंटी पिथा पुत्र चौथा के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा गोरखाना के खसरा न0 130 की 10.13 बीधा की भूमि पिथा पुत्र चौथा को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिथा पुत्र चौथा के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी पिथा उसके वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 130 की 10.13 बीधा भूमि हैक्टयर में परिर्वतन होकर उक्त भूमि रोही मोजा गोरखाना के खसरा न0 130 की 2.7060हैक में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा का देहान्त हो चुका है जायज वारिसान /पुत्रगण हेमराज , आदुराम , रूपराम का भी देहान्त हो चुका है रूपराम पुत्र डुगरराम का भी देहान्त हो चुका है आवटी पिथा पुत्र चौथ एव उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद उसके

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (राज०)

जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जिनके वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हो चुकी है।

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 19 वादीगण की बहने /बेटे/बेटीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के हकदार है।

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथ को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी पिथा पुत्र चौथा के वारिसान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादीगण उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 337/345 के खसरा न0 130 की 2.7060हैक भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 त 9 की और से सुबोध शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिपोर्ट पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा गोरखाना के खसरा न0 130 की 10.13 बीधा की भूमि पिथा पुत्र चौथा को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिथा पुत्र चौथा के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी पिथा उसके वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 130 की 10.13 बीधा भूमि हैक्टयर में परिर्वतन होकर उक्त भूमि रोही मोजा गोरखाना के हाल खसरा न0 130 की 2.7060हैक में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान /पुत्रगण हेमराज , आदुराम , [illegible] चुका है रूपराम के पुत्र डुगरराम का भी देहान्त हो चुका है आवटी पिथा पुत्र च[illegible] एव उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जिनके वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हो चुकी है।

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 19 वादीगण की बहने /बेटे/बेटीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर (हनु०)

भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के हकदार है।

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथ को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी पिथा पुत्र चौथा के वारिसान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादीगण उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा गोरखाना के खसरा न0 130 की कुल 10.13 बीधा भूमि पिथा पुत्र चौथा जाति नायक निवासी गोरखाना को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

पिथा पुत्र चौथा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान /पुत्रगण हेमराज , आदुराम , रूपराम का भी देहान्त हो चुका है रूपराम के पुत्र डुगरराम का भी देहान्त हो चुका है आवटी पिथा पुत्र चौथ एव उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जिनके वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हो चुकी है वारिसान के सम्बध में पेरोकार राज को भी कोई ऐतराज नही है

वाद भूमि पिथा पुत्र चोथा को दिनांक 13.01.1977 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो पिथा पुत्र चौथा के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पूर्वज आवटी पिथा के देहान्त होने पर वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा को आंवटन की गई थी पिथा पुत्र चौथा के देहानत होने पर वर्तमान में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जिनके विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो चुकी है तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 19 वादीगण की बहने /बेटे/बेटीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के हकदार है

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज पिथा पुत्र चौथा को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादीगण के पूर्वजो को आवंटन दिनांक 13.01.1977 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी के पिता को आवटन की गई भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पूर्वजो को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पूर्वज पिथा पुत्र चोथा को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03. 08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर ख[illegible]अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता पिथा [illegible]खाना (जो अनुसूचित जाति वर्ग जाति का सदस्य है) क[illegible]ना के खसरा न0 130 की कुल 2.7060हैक् भूमि आवंटन दिनांक 13.01.1977 को आवटन क[illegible]ाई थी जो राजस्व रिकार्ड में पिथा पुत्र चौथा के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)
Rahul.

वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 130 की कुल 2.7060हैक भूमि वादीगण के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा को दिनांक 13.01.1977 को आवंटन की गई थी वादीगण के पूर्वज को आवटन की गई थी जो आवंटन आदेश ,एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वादी भूमि जो वादी के पिता को आवंटन की गई थी पूर्व में वादी के पूर्वज पिथा पुत्र चोथा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वादी के पूर्वज पिथा पुत्र चौथा व उसके पुत्रों के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 के कब्जा काश्त में रही थी तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में करने के कारण वाद भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादीगण के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 337/345 के खसरा न0 130 की 2.7060हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. सुखराम पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. मानाराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. सुमीत्रा पत्नी हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. सन्तलाल पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. प्रताप पुत्र आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. कालुराम पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. भालाराम पुत्र डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. प्रहलाद पुत्र हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. जितराम पुत्र हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. गोमती पुत्री हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. मंजु पुत्री हेमराज जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. प्रमेश्वरी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. सुरजा पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
16. गुडडी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
17. भंवरी पुत्री आदुराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
18. नार्थी पत्नी डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. सीता पुत्री डुगरराम जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 751 सन 2022 निर्णय दिनांक – 10/04/26

आज यह वाद मुझ राहूल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 337/345 के खसरा न0 130 की 2.7060हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 सयुक्त तौर से 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)